न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

(पंचायत) निगरानी संख्या 17 / 20
जीसीएम संख्या :–2020 / 00132 वर्ष 2020

बउनवानीः– 1. श्रीमति लक्ष्मी शर्मा पुत्री श्री लादूराम पत्नि श्री शम्भूदयाल शर्मा जाति ब्राहामण , निवासी चौथ का बरवाडा तहसील सवाईमाधोपुर

बनाम

1. रामकल्याण मीना पुत्र श्री मांगी लाल मीना निवासी चौथ का बरवाडा
2. ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा जरिये सरपंच ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा

(निगरानी विरूद्व पटटा संख्या 37 दिनांक 5.9.2017 ग्राम पंचायत फलौदी अन्तर्गत धारा 97 पंचायत अधिनियम,1994)

उपस्थितः–1. श्री भोलाशंकर शर्मा वकील प्रार्थी
2. श्री बालकृष्ण उपाध्याय वकील अप्रार्थी

–: निर्णय :– दिनांक :– 27.2.2025

निगरानी गुजरान द्वारा यह निगरानी सरपंच ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा द्वारा पटटा संख्या 37 दिनांक 5.9.2017 के विरूद्व इस कथन के साथ प्रस्तुत की गयी है कि कथित पटटा अवैधानिक है जिसको खारिज फरमाया जावे ।

निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा में दर्ज रजिस्टर की जाकर अदालत मातहत का मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया गया। विपक्षी की भी सुनवायी हेतु तलबी जरिये नोटिस की गयी। तत्पश्चात बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी है।

वकील निगरानीकार ने अपनी बहस में कथन किया कि अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर निगरानी जल्दबाजी दिखाते हुए कानून ताक मे रखकर विधिविरूद्व तारीके से पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश देने से पहले एवं पटटा जारी करने से पूर्व ग्राम पंचायत अधिनियम एवं रूल्स की कोई पालना नही की है। अधीनस्थ न्यायालय ने 1053 वर्गफीट भूमि विपक्षी संख्या 1 को देने का आदेश दिया है जबकि इतनी भूमि बाबत आदेश देने का ग्राम पंचायत को कोई अधिकार ही नही था जैसा कि राजस्थान पंचायतीराज नियम,144 में कानून प्रतिपादित किया गया है इसके अलावा भी ये निवेदन है कि इस मामले में सर्वप्रथम ऑर्डरशीट दिनांक 21.8.2012 की मौजूद है जिसमे खाम से पुख्ता का पटटा बनाने हेतु ऑर्डरशीट में तथ्य दर्ज है एवं नोटिस जारी करके दिनांक 20.9.2012 की तारीख लिखी हुई है लेकिन तत्पश्चात दिनांक 20.9.2012 की कोई ऑर्डरशीट नही है एवं सीधे ही दिनांक 5.4.2013 की ऑर्डरशीट है जिसमे भी नोटिस जारी करने का हवाला है, एवं आगामी तारीख पेशी दिनांक 20.4.2013 दी गयी है दिनांक 20.4.2013 की कोई ऑर्डरशीट नही है एवं पत्रावली दिनांक 6.5.2013 को नम्बर पर लेकर वार्ड पंच श्री भोजराज तिलोर, पूरणमल जैन, व राजेन्द्र सिंह चौहान एवं श्री रामेश्वर मीना वार्ड पंच को हिदायत दी गयी है एवं पत्रावली मे आगामी तारीख पेशी 20.6.2013 दर्ज की गयी है लेकिन पत्रावली में फिर 20.6.2013 की कोई ऑर्डरशीट नही है एवं दिनांक 5.8.2013 की ऑर्डरशीट उपलब्ध है जिसमे मौका रिपोर्ट का अभाव बताया गया है एवं पत्रावली 5.9.2013 को पेश होने के लिए ऑर्डरशीट है लेकिन पत्रावली में दिनांक 5.9.2013 की कोई ऑर्डरशीट नही है एवं सीधे 5.10.2013 की आर्डरशीट है जिसमे मौका रिपोर्ट संलग्न आने का हवाला है एवं तारीख पेशी 20.12.2013 दी गयी है तत्पश्चात दिनांक 22.6.2015 की आर्डरशीट है जिसमे दिनांक 5.7.2015 तारीख दी गयी है यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि दिनांक 20.8.2017 की एक आज्ञाओं की सूची पत्रावली में उपलब्ध है जिसमें वार्ड पंचं श्री अजीम कुरेशी,विकास तिलोर,हेमराज मीना व श्रीमति सोहन देवी को मौका देखने के लिए पुनः नियुक्त किया गया है लेकिन 20.8.2017 की कोई ऑर्डरशीट नही है। इसी प्रकार जो आपत्ति मांगने का सूचना पत्र पर तारीख 7.8.2012 दर्ज की गयी है, उस दिन तो पत्रावली में इस तारीख को नोटिस जारी करने है ऐसी कोई ऑर्डरशीट ही नही है ना ही इस नोटिस का मजमेआम मे चस्पादंगी की गयी हो ऐसा पत्रावली से विदित होता है। पत्रावली सर्वप्रथम दिनांक 21.8.2012 को अधीनस्थ न्यायालय के सामने लाई गयी है जिसने उस दिन ये आदेश दिया कि आपत्ति नोटिस बाद मे निकाले, सम्पूर्ण पत्रावली मे दिनांक 21.8.2012 का आपत्ति नोटिस नही है। इस ऑर्डरशीट में दिनांक 21.8.2012 को ही नक्शा व प्रार्थना पत्र पेश करने का हवाला है लेकिन दिनांक 21.8.2012 को ही नक्शा व प्रार्थना पत्र पेश करने का हवाला है लेकिन दिनांक 21.8.2012 का कोई नक्शा या प्रार्थना पत्र पत्रावली में नही है। इसी प्रकार पत्रावली

.....(1).....

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Chaudhary
Date: 2025.06.25 13:07:43 IST
Reason: SelfAttested

(शुभम चौधरी)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

में दिनांक 7.8.2012 का जारी एक तारीख पेशी का नोटिस संलग्न है लेकिन 7.8.2012 का इस प्रकार का कोई आपत्ति नोटिस ही जारी नही हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय ने गिर्राज प्रसाद जांगिड व दीनदयाल माहुर के बयान लिये। गिर्राज प्रसाद जांगिड कहता है कि खाम मकान है जो पैतृक है यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि विपक्षी संख्या 1 के पिता अभी जिन्दा है ऐसी सूरत में विपक्षी संख्या 1 द्वारा पैतृक मकान बनाकर उसके नाम पटटा जारी करवाया जाना गलत है, पटटा पिता के नाम जारी किया जाना चाहिए था एवं मौके पर कोई खाम मकान रहा ही नही बल्कि शुरू से ही निगरानीगुजार का पक्का मकान रहा है। यह तर्क भी दिया कि पत्रावली में दिनांक 16.8.2013 का एक प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र व विधुत बिल की छायाप्रति संलग्न करना दर्ज है लेकिन 16.8.2013 की ऐसी कोई ऑर्डरशीट नही है। शपथ पत्र दिनांक 16.8.2013 को पेश किये गये लेकिन बयान दिनांक 20.6.2013 को ही ले लिये गये है जो अपने आप मे कन्ट्राडिक्टी है। बयान लेने के बाद शपथ पत्र पेश करने का क्या औचित्य है बिजली का बिल कहॉ का है पता दर्ज नही है एवं बिजली का बिल भी वर्ष,2001 का लगाया गया है। शपथ पत्र जो रामकल्याण ने पेश किया है उसमे खुद की उम्र 42 वर्ष बतायी गयी है एवं मकान मे 52 वर्ष से निवास करना बताया है अर्थात जन्म से भी 10 वर्ष पूर्व से वह उस मकान मे रहना शपथ पत्र में अंकित किया है, जो मौका रिपोर्ट पत्रावली पर संलग्न है उसपर जिन पंचो को मौका देखने के लिए नियुक्त किया गया था उनमे से किसी के भी हस्ताक्षर नही है। मौका दिनांक 17.8.2013 को देखना बताया गया है लेकिन पत्रावली में दिनांक 7.10.2013 को सलंग्न बताया है दो माह तक मौका रिपोर्ट कहॉ रही पत्रावली से स्पष्ट नही है। इससे स्पष्ट है कि सम्पूर्ण पत्रावली में बाद मे खानापूर्तियां की गयी है एवं बेकडेक में सारी कार्यवाहिया करके आनन फानन में प्रार्थिया के पिता के मकान का पटटा विपक्षी संख्या 1 रामकल्याण द्वारा प्राप्त किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नियम 146 के तहत कोई स्थल निरीक्षण नही किया ना ही ऐसी किसी फाईल को तीन पंचो की कोई समिति के समक्ष रखा गया ना ही पंचायत की बैठक में रखा गया ना ही निश्चित समयावधि के भीतर पंचो ने कोई मौका देखा ना ही किसी बैठक में ये अन्तिम निश्चिय किया गया कि प्रस्तावित विक्रय किया जावे या नही ना ही प्रारूप 22 में प्रस्तावित विक्रय के संबंध में कोई नोटिस आक्षेप आमंत्रित करने के लिए जारी किये ना ही ऐसे कोई नोटिस प्रस्तावित भूमि पर चस्पा किये गये बल्कि सारी कार्यवाही बाले बाले बेकडेट में करके विवादित फैसला व पटटा जारी कर दिया जो अपास्त होने योग्य है। यह है कि जिस मकान का पटटा विपक्षी संख्या 1 के पक्ष मे जारी किया गया है वह मकान निगरानीगुजार के पिता का था जिसके अनुसार प्रार्थिया के पिता का मकान पक्का है एवं विपक्षी संख्या 1 का पिता व निगरानीगुजार के पिता रेल्वे मे थे ऐसी सूरत में विपक्षी संख्या 1 को प्रार्थीया के पिता ने उक्त मकान मे अपने परिवार सहित रहने के लिए दिया था जो परमेशिव पजेशन से ज्यादा की तारीफ मे नही आता है अर्थात विवादित मकान को प्रार्थिया के पिता ने विपक्षी संख्या 1 के पिता को उसके कहने पर रहने के लिए दिया गया था। प्रार्थीया के पिता की मृत्यु हो चुकी है एवं प्रार्थीया के पिता की अदम मौजूदगी का फायदा उठाकर विपक्षी संख्या 1 ने ग्राम पंचायत से सांठ गांठ करके विवादित पटटा जारी किया है। निगरानी गुजार के पिता लादूराम पुत्र गोरधन द्वारा दिनांक 16.4.1985 को विवादित भूमि को लेने के वास्ते प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा में दिया गया था जिसकी पत्रावली संख्या 295 है तथा उक्त पत्रावली में पंचायत कोरम द्वारा दिनांक 31.12.1985 को प्रार्थीया के पिता के पक्ष में भूमि बिचौती का निर्णय फरमा दिया। उसी मे भूमि पूर्व पश्चिम 39 फिट व उत्तर दक्षिण 27 फिट जिसका क्षेत्रफल 1053 का निस्तारण हुआ है जिसमे 51 रूपये प्रति वर्गगज 5967/–रू होते है जो दिनांक 14.1.1986 को रसीद संख्या 671 से 5967/–रू तथा 5/–रू पटटा फीस दिनांक 14.1.1986 को रसीद संख्या 2865 द्वारा जमा करा दिये गये थे एवं इस आधार पर प्रार्थीया के पिता द्वारा निर्णयशुदा भूमि पर पुख्ता मकान बना लिया गया था, तत्पश्चात प्रार्थीया के पिता अपनी पूर्व पत्नि गुलाब देवी की बीमारी मे उलझ गये एवं पंचायत से पटटा नही ले पाये। मेरे पिता की पूर्व पत्नि का देहान्त 11.5.1990 को हो गया उसके बाद मेरे पिता ने मेरी मां किरण देवी से विवाह कर लिया। कुछ समय पश्चात दिनांक 30.8.1994 को मेरे पिता लादूराम का भी देहान्त हो गया एवं मेरी मां सम्पति की मालिक हो गयी। जिसकी वसीयत दिनांक 15.2.2005 के आधार पर उक्त सम्पति का पटटा जारी करने हेतु मैने ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा के यहॉ दिनांक 25.2.2015 को पत्रावली दायर की जो ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा में आज भी पेन्डिग है। इस प्रकार जब एक बार ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा ने निर्णय करके विवादित भूमि को प्रार्थीया के पिता को दे चुकी है तो पुनः उसी भूमि को विपक्षी संख्या 1 को दिये जाने का आदेश व उसके अनुसरण में जारी किया गया पटटा प्रारम्भिक रूप से ही शुन्य एवं निष्प्रभावी है। यह है कि विवादित मकान को पैतृक बताकर पटटा जारी करने के लिए अधीनस्थ न्यायालय को निवेदन किया गया था जबकि रूल्स 157 के अनुसार इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से पूर्व कम से कम 50 वर्ष पुराना मकान होना चाहिए वह उसके मालिकाना हक का 50 साल पुराना हो । इस तरह से पंचायत नेरूल्स एवं रेगूलेशन की कोई पालना नही की है। यह तर्क भी दिया कि विवादित पटटा जारी करते समय

Signature Not Verified

Digitally signed by Shubham Chaudhary
Date: 2025.06.25 18:07:43 IST
Reason: SelfAttested

(शुभम चौधरी)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

रूल्स 146 से लगाकरर 149 तक की कोई पालना अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नही की गयी है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का फैसला व पटटा निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के फैसले व पटटे की प्रार्थिया को कोई जानकारी नही थी। प्रार्थिया ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपने पिता की मृत्यु के उपरान्त उसके नाम से पटटा जारी करने हेतु वर्ष 2015 मे प्रस्तुत पत्रावली हुई कार्यवाही की जानकारी लेने के लिए ग्राम पंचायत मे जाने पर सर्वप्रथम दिनांक 10.9.2020 को विपक्षी के पक्ष मे पटटा जारी करने की जानकारी प्राप्त हुई। इससे पूर्व प्राथी 'या को उक्त प्रकरण की कोई जानकारी नही थी। अतः निगरानी पेश करने मे हुई देरी को दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के तहत कन्डोन किये जाने योग्य है। इस हेतु दफा 5 का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र अलग से पेश कर निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आदेश जैर निगरानी खारिज किये जाने बाबत वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया।

विद्वान वकील अप्रार्थीगण द्वारा दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर निगरानी विधिसम्मत है जिसमे किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही है। प्रार्थी ने नियमानुसार ग्राम पंचायत में पटटा चाहने हेतु दिनांक 7.8.2012 को आवेदन किया जाने पर ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा द्वारा आपत्ति नोटिस कमांक 222 दिनांक 15.10.2012 जारी किया जो दिनांक 18.10.2012 को नवल द्वारा चस्पा किया गया किन्तु नियत समयावधि मे प्रार्थीया अथवा किसी अन्य व्यक्ति की आपत्ति प्राप्त नही हुई। विवादित भूखण्ड का मौका दिखाया जाने पर प्रार्थना पत्र के संलग्न नक्शे के अनुसार मौका स्थिति सही पाये जाने पर भूखण्ड के उत्तर–दक्षिण मे प्रार्थी की चबूतरी को सार्वजनिक उपयोग हेतु रखने की सिफारिश के साथ उत्तर दक्षिण 27 फीट व पूर्व पश्चिम 39 फीट का पटटा अप्रार्थी को विकास शुल्क 5100/–रू एवं पटटा शुल्क 200/–रू पर दिया गया है जिसमे किसी प्रकार की त्रुटि नही है। जहॉ तक पत्रावली की आदेशिका का प्रश्न है तो पटटा जारी करने की प्रकिया कोई न्यायालय की न्यायिक प्रकिया नही है इसलिए नियत दिनांक को पत्रावली कोरम के समक्ष पेश करना आवश्यक नही है। यह तर्क भी दिया मिसल संख्या 259 मे दिनांक 9.1.1985 को प्रार्थी के बाडे की भूमि को खाली करने की शर्त पर उच्च विभाग से प्रस्ताव पर स्वीकृति ली जाकर पटटा दिये जाने के आदेश दिये गये है किन्तु उच्च विभाग से स्वीकृति प्राप्त हुई है अथवा नही स्पष्ट नही है? प्रार्थी स्वंय ने भी उक्त पटटे से संबंधित भूखण्ड/मकान को अप्रार्थी को दिया जाना माना गया है। प्रार्थी के पास उक्त भूखण्ड का पटटा भी नही है। अतः निगरानी प्रार्थना पत्र खारिज की जाकर आदेश जैर निगरानी यथावत रखने बाबत वकील अप्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया।

वकील उभय पक्षों की ओर से बहस में किये गये कथन को सुनने के पश्चात् एवं सम्बन्धित पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहॅुचते है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित पटटा जारी करने से पूर्व विधिवत आपत्ति नोटिस जारी किया गया था किन्तु प्रार्थीया द्वारा तत्समय कोई आपत्ति ग्राम पंचायत के समक्ष पेश नही की गयी है इसके अतिरिक्त प्रार्थीया के पास उक्त भूखण्ड का पटटा भी नही है तथा प्रार्थीया को पटटा दिये जाने के निर्णय दिनांक 31.12.1985 के लगभग 30 वर्ष बाद दिनांक 25.2.2015 को आवेदन करने का कोई उचित कारण भी नही बताया है। प्रार्थी द्वारा आदेश दिनांक 9.1.1985 की पालना मे बाडे की भूमि खाली किये जाने अथवा नही किये जाने से संबंधित कोई सबूत पत्रावली पर उपलब्ध नही है। इसके अतिरिक्त नियत तारीख पेशी पर पत्रावली कोरम के समक्ष प्रस्तुत नही होना कोई बडी अनियमितता नही है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर अप्रार्थी द्वारा शपथ पत्र में 52 वर्ष से उक्त मकान मे रहने बाबत अंकित तथ्य को गलत माना जाए तो भी स्वंय प्रार्थी द्वारा उक्त मकान में अप्रार्थी कब्जा होना माना गया है। अतः विधिसम्मत पारित आदेश जैर निगरानी मे किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही होने के कारण हस्तक्षेप करने की आवश्कता नही है।

उक्त विवेचन के आधार पर निगरानीकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर आदेश जैर निगरानी यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 27.2.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शुभम चौधरी)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Shubham Chaudhary
Date: 2025.06.25 18:07:43 IST
Reason: SelfAttested